संख्या-12011/04/2008-स्था.(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें – सरकारी कर्मचारियों की अशक्त संतान के लिए शिक्षा भत्ता तथा अशक्त महिलाओं के लिए बाल देखभाल का विशेष भत्ता के सम्बन्ध में निर्णयों का कार्यान्वयन ।

छठे केन्द्रीय वेतन अयोग द्वारा अशक्त महिला कर्मचारियों, विशेषकर जब उनके छोटे बच्चे तथा अशक्त बच्चे हों, को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की दृष्टि से की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुदेश जारी करते हैं :-

(i) अशक्तता से ग्रस्त महिलाओं को बाल देखभाल के लिए 1000/- रुपये प्रतिमाह का विशेष भत्ता दिया जाएगा । उपर्युक्त भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर उसके दो वर्ष का हो जाने तक देय होगा ।

(ii) यह अधिकतम दो बच्चों के लिए देय होगा ।

(iii) अशक्तता का अर्थ है, किसी व्यक्ति में, कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एन.आई.। दिनांक 1.6.2001 (अनुबंध) में यथा परिभाषित अक्षमता की न्यूनतम प्रतिशतता 40 हो ।

(iv) संशोधित वेतन ढांचा में जब भी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होगा, उपर्युक्त सीमा में स्वत: ही 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी ।

2. सरकारी कर्मचारियों के अशक्त बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति निर्धारित सामान्य दरों से दुगुना देय होगा । सरकारी कर्मचारियों के अशक्त बच्चों के सम्बन्ध में संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए नियम वार्षिक अधिकतम सीमा 24,000/- रुपये है । शेष शर्तें विषय से सम्बन्धित का.ज्ञा. सं.-12011/03/2008-स्था.(भत्ता) दिनांक 2 सितम्बर, 2008 द्वारा यथा निर्धारित ही रहेंगी ।

... 2/- ...

3. अशक्तता का अर्थ है, किसी व्यक्ति में, कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई.। दिनांक 1.6.2001 (अनुबंध) में यथा परिभाषित अक्षमता की न्यूनतम प्रतिशतता 40 हो ।

4. ये आदेश 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे ।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत् व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक (पी. एंड ए.)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति का सचिवालय/उप-राष्ट्रपति का सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव ।
3. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
4. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ।
5. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग(ई.।।(बी.)शाखा)
9. राजभाषा खण्ड (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
11. 200 अतिरिक्त प्रतियां ।

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक (पी. एंड ए.)

अनुबंध-

अधिसूचना के उद्धरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांकः 01 जून, 2001

विषय : विभिन्न अशक्तताओं और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

संख्या-16-18/97-एन.आई.आई. । कल्याण मंत्रालय के दिनांक 06 अगस्त, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-4-2/83-एच.डब्ल्यू.III में दिए अनुसार विभिन्न अशक्तताओं और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के मूल्यांकन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा करने तथा अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान व्यवहार, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए उचित आशोधन/प्रत्यावर्तन की सिफारिश करने के क्रम में, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिनांक 28.8.98 के आदेश सं. 16-18/97-एन.आई.I द्वारा मानसिक व्याघात, चलने-फिरने की अशक्तता/अस्थि विक्लांगता, दृष्टि विक्लांगता और बोलने व सुनने की अशक्तता प्रत्येक क्षेत्र के लिए महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ की अध्यक्षता में एक-एक अर्थात् चार समितियाँ गठित की गईं हैं । इसके पश्चात्, दिनांक 21.07.1999 को, बहुविध अशक्तता का मूल्यांकन, निर्धारण तथा वर्गीकरण और अक्षमता की सीमा की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया हेतु एक और समिति भी गठित की गई ।

2. इन समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् मुझे, निम्नलिखित अक्षमताओं के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अधिसूचित किए जाने हेतु राष्ट्रपति का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है :-

दृष्टि विक्लांगता
चलने-फिरने की अशक्तता/अस्थि विक्लांगता
बोलने व सुनने की अशक्तता
मस्तिष्क व्याघात

रिपोर्ट की प्रति **अनुबंध*** के रूप में संलग्न है ।

3. किसी रियायत/लाभ की पात्रता के लिए, अक्षमता की न्यूनतम प्रतिशतता 40% होनी चाहिए ।

4. अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार अशक्तता प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाला प्राधिकरण, केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित एक चिकित्सा-बोर्ड होगा । राज्य सरकार चिकित्सा-बोर्ड गठित करते समय न्यूनतम तीन-सदस्यीय बोर्ड गठित करे जिनमें से कम-से-कम एक सदस्य, चलने-फिरने में अक्षम/कम दृष्टि सहित दृष्टि विक्लांगता बोलने-सुनने की विक्लांगता सहित दृष्टि विक्लांगता, मस्तिष्क व्याघात और ईलाज किए हुए कोढ़, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाला हो ।

5. चिकित्सा बोर्ड **अनुबंध*** में दर्शाए अनुसार विशिष्ट परीक्षण करे और प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व उसे रिकॉर्ड करे ।

6. 18 वर्ष से कम आयु वाले तथा अस्थाई अशक्तता के मामले में प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि 5 वर्ष की होगी । स्थाई अशक्तता के मामले में प्रमाण-पत्र की वैधता 'स्थायी' दर्शाई जा सकती है ।

7. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने यदि अब तक चिकित्सा बोर्ड गठित नहीं किए हैं वे उपर्युक्त पैरा-4 में दर्शाए अनुसार तुरंत चिकित्सा बोर्ड गठित करें ।

8. परिभाषा/वर्गीकरण/मूल्यांकन परीक्षण की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद/शंका की स्थिति में, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अंतिम प्राधिकारी होंगे ।

(गौरी चटर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :

* ऊपर उल्लिखित अनुबंध को कृपया सामाजिक, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना से देखें ।